राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–489/2015/करौली

श्री गायत्री प्रज्ञा मण्डल, करौली जरिये श्री मोती लाल अग्रवाल पुत्र स्वं. श्री सांवलिया राम जाति अग्रवाल आर/ओ करौली, तहसील व जिला करौली, सेक्रेटरी, गायत्री प्रज्ञा मण्डल, करौली। ...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप–पंजीयक करौली। ...अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एन.के.गोयल
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.01.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) भरतपुर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 22.01.2008 प्रकरण संख्या 160/2004 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप–पंजीयक करौली द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप–पंजीयक कार्यालय करौली में दिनांक 21.03.2001 को श्री वासुदेव गुप्ता पुत्र श्री काशीनाथ गुप्ता द्वारा श्री गायत्री प्रज्ञामण्डल करौली जरिये श्री मोतीलाल जी अग्रवाल के पक्ष में एक दान पत्र पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया। दान पत्र कस्बा करौली में पुलिस स्टेशन के सामने स्थित खसरा नंबर 5062 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी बाबत था। दस्तावेज में कथन किया गया कि यह संपंत्ति धार्मिक उपयोग के लिए है तथा दान गृहिता जो राजस्थान ट्रस्ट एक्ट की धारा 2(3) व 2(11) के अनुसार ट्रस्ट डीड है जिस पर मुद्रांक अधिनियम का आर्टिकल 64 लागू होता है। जिला कलक्टर (जिला पंजीयक) करौली द्वारा मुकदमा संख्या 69/2000 वासुदेव गुप्ता

लगातार.....2

बनाम उप–पंजीयक करौली में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2001 द्वारा उक्त दस्तावेज को मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल 64 के अनुसार मुद्रांक एवं फीस पर पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये गये। महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त आदेश पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निरस्तनीय मानते हुए दान पत्र पर देय मुद्रांक कर लेकर पंजीयन हेतु निर्देशित किया। उप–पंजीयक ने मौका निरीक्षण कर सम्पत्ति को आवासीय उपयोग की आंककर आवासीय दर रूपये 860/– प्रति वर्गगज से मालियत 6,49,300/– एवं निर्मित क्षेत्रफल 119.44 वर्गगज का मूल्यांकन 2,700/– प्रति वर्गगज से 3,22,450/– एवं कुल मालियत 9,71,750/– प्रस्तावित कर रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय में पत्र क्रमांक 244/पंजीयन दिनांक 16.03.2004 द्वारा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.01.2008 द्वारा रेफरेन्स स्वीकार किया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नही दिया है कि दान पत्र एक चेरीटेबल ट्रस्ट के पक्ष में था जिस पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल 56 के अनुसार मात्र 60 रूपये का ही मुद्रांक कर देय है। दान दी गई भूमि खसरा नंबर 5062 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी का आधा हिस्सा है जबकि रेफरेन्स संपूर्ण 5 बिस्वा का किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी संपूर्ण 5 बिस्वा के मूल्यांकन पर मुद्रांक कर आदि वसूल किये जाने के आदेश दिये हैं जो विधिसम्मत नही है।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

लगातार.....3

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. विचाराधीन प्रकरण में प्रथम विचारणीय बिन्दु यह है कि दान पत्र ट्रस्ट के पक्ष में होने के कारण दान पत्र पर मुद्रांक कर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1998 के आर्टिकल 56 के अनुसार अधिकतम 60 रूपयें देय बनता है या आर्टिकल 31 के अनुसार कन्वेन्स की दर से।

प्रश्नगत दस्तावेज के अनुसार दान पत्र गायत्री प्रज्ञामण्डल करौली के पक्ष में निस्पादित किया गया है। दस्तावेज में गायत्री प्रज्ञामण्डल करौली को ट्रस्ट बताया गया है। दस्तावेज में ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में न तो पंजीयन संख्या अंकित है व न ही पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में गायत्री प्रज्ञामण्डल करौली को तत्समय ट्रस्ट नही माना जा सकता तथा प्रश्नगत दस्तावेज पर ट्रस्ट के अनुसार आर्टिकल 56 के अन्तर्गत मूल्यांकन नही किया जा सकता। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने कन्वेंस मानकर निर्णय पारित किया है जो तथ्यों एवं विधि के अनुरूप है तथा अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

10. निगरानी में द्वितीय विचारणीय बिन्दु यह है कि मूल्यांकन खसरा नंबर 5062 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी संपूर्ण का किया जाकर मुद्रांक कर आदि वसूलनीय है या इसके आधे हिस्से पर।

प्रश्नगत दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 1 पर अंकित तथ्य "जो कि कस्बा करौली में पुलिस स्टेशन के सामने स्थित खसरा नंबर 5062 रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी की भूमि प्रथम पक्ष की निस्फ हिस्से की मिल्कियत व कब्जे की है।", से यह स्पष्ट है कि दान दाता का उपरोक्त 5 बिस्वा भूमि में से आधा हिस्सा है। रेफरेन्स में मूल्यांकन संपूर्ण 5 बिस्वा भूमि का किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी तद्नुसार रेफरेन्स स्वीकार किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब दान दी गई भूमि 5 बिस्वा का निस्फ अर्थात आधा हिस्सा है तो इसी अनुसार मूल्यांकन कर मुद्रांक कर आदि की देयता बनती है। इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार इस बिन्दु के निर्धारण हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

लगातार.....4

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर उपरोक्तानुसार की गई विवेचना को ध्यान में रखते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.03.2017 को पेश हों।

12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य